

2.1

लेखापरीक्षा उद्देश्य

देश में कोयले की माँग और घरेलू आपूर्ति के मध्य अन्तराल बढ़ रहा है और तदनन्तर, आयात प्रगामी रूप से बढ़ रहा है। दूसरी ओर ऐसे दृष्टांत हैं जहाँ विद्युत संयंत्रों में सामर्थ्यताएं या तो निष्क्रिय पड़ी हुई हैं अथवा कोयले के अभाव में क्षमता में संवर्धन के लिए कठिनाईयों का सामना कर रही हैं। इन चिन्ताओं के पृष्ठपटल में, "कोयला ब्लॉकों के आबंटन और कोयला उत्पादन के संवर्धन" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा यह आश्वासन प्राप्त करने के लिए की गई है कि:

- सीआईएल ने यथा योजनागत इसकी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया।
- केप्टिव खनन के लिए कोयला ब्लाक्स के आबंटन के लिए अपनाई गई क्रियाविधियों में उद्देश्य एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए;
- केप्टिव खनन के लिए आबंटित कोयला ब्लाक्स में यथा परिकल्पित कोयले का उत्पादन बढ़ाया जाए।

2.2

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में 2006-07 से 2010-11 की अवधि और एमओसी द्वारा 2004 से कोयला आबंटनों को कवर किया गया है। एमओसी, सीसीओ, सीआईएल और उसकी सहायक कम्पनियों के अभिलेखों की नमूना-जांच सितम्बर से नवम्बर 2011 के दौरान की गई थी। सीआईएल एवं इसकी सहायक कम्पनियों के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस 16 सितम्बर 2011 को और एमओसी के साथ 13 अक्टूबर 2011 को आयोजित की गई थी। एक्जिट कान्फ्रेंस 9 फरवरी 2012 और 9 मार्च 2012 को आयोजित की गई थी।

2.3

लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा द्वारा उपयोग किए गए मानदण्ड निम्नलिखित थे:

- XI योजना एवं XI योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के लिए कोयले की माँग और आपूर्ति के संबंध में योजना आयोग के मूल प्रक्षेपण और संबंधित पैरामीटर।
- कोयले के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों के लिए एमओसी एवं सीआईएल द्वारा नियत किए गए निष्पादन पैरामीटर।
- निम्नलिखित के संबंध में नीतियां पद्धतियां और दिशानिर्देश
 - कोयला ब्लॉकों का आबंटन और मॉनीटरिंग
 - कोयले का उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्य निर्धारण

- एमओसी के लिए परिणामी ढाँचा दस्तावेज (आरएफडी) और एमओसी के साथ सीआईएल एवं इसकी सहायक कम्पनियों का सहमति ज्ञापन (एमओयू)।

लेखापरीक्षा, प्रबंधन के सभी स्तरों पर एमओसी, सीआईएल तथा सीसीओ द्वारा प्रदत्त सक्रिय सहयोग और सहायता, जिसके कारण इस निष्पादन लेखापरीक्षा को पूरा करने में आसानी हुई, के लिए आभारी है।